परिचय
वित्त संबंधी स्थायी समिति

विधायिका द्वारा कार्यपालिका की विशेष और मंत्रालय/विभाग विशिष्ट जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत की संसद ने वर्ष 1993 में विभागों से संबद्ध स्थायी समिति (डीआरएससी) प्रणाली आरंभ की । प्रारंभ में, इसमें 17 समितियां थी, वर्ष 2004 में पुनर्गठन के बाद डीआरएससी प्रणाली का विस्तार किया गया और 24 समितियां बनाई गई।

वित्त संबंधी स्थायी समिति निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषयों की जांच करती है :-

(एक) वित्त मंत्रालय

- (क) आर्थिक कार्य विभाग,
- (ख) वित्तीय सेवाएं विभाग
- (ग) व्यय विभाग
- (घ) राजस्व विभाग, और
- (ङ) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग,

(दो) कॉर्पोरेट कार्य विभाग,

(तीन) योजना मंत्रालय (नीति आयोग), और

(चार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

समिति की संरचना

लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ग के अंतर्गत गठित समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें लोक सभा के 21 सदस्यों का नामनिर्देशन लोक सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता □□ तथा राज्य सभा के 10 सदस्यों का नामनिर्देशन राज्य सभा के सभापति द्वारा किया जाता है। समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति में लोक सभा के सदस्यों से की जाती है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

समिति के कार्य

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपा गया हैः-

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो यथास्थिति, अध्यक्ष, लोकसभा अथवा सभापति, राज्यसभा, द्वारा समिति को सौंपा जाए और उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ग) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) सभा में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेज जो यथास्थिति, अध्यक्ष, लोकसभा अथवा सभापति,

राज्यसभा, द्वारा समिति को सौंपे जाने पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

समिति का कार्यकरण

अनुदानों की मांगों पर विचार किये जाने से संबंधित प्रक्रिया

सभा में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है। समिति, उपरोक्त अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों (डीएफजी) पर विचार करती है और उन पर अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती है/ सभा में प्रस्तुत करती है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की अनुदानों की मांगों पर पृथक-पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुदानों की मांगों पर प्रतिवेदन में कटौती प्रस्ताव जैसी किसी बात का कोई सुझाव नहीं होता है। सभा समिति के प्रतिवेदनों के आलोक में अनुदानों की मांगों पर विचार करती है।

विधेयकों पर विचार किये जाने से संबंधित प्रक्रिया

समिति केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिसे दोनों सभाओं में से किसी एक सभा में पुर:स्थापित किया गया है तथा यथास्थिति, अध्यक्ष, लोक सभा या सभापति, राज्य सभा, द्वारा उसे सौंपा गया हो।

समिति, उसे सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है तथा दिए गए समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच से संबंधित प्रक्रिया

समिति अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर जांच हेतु अन्य विषयों का भी चयन करती है।

राष्ट्रीय दीर्घ-कालिक नीतिगत दस्तावेजों की जांच से संबंधित प्रक्रिया

समिति, मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय दीर्घ-कालिक नीतिगत दस्तावेज, जो यथास्थिति, अध्यक्ष, लोकसभा अथवा सभापति, राज्यसभा, द्वारा समिति को सौंपा जाए, पर विचार करती है और उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

उप-समितियों/अध्ययन समूहों का गठन

समिति, अपने द्वारा चयनित विषयों का विस्तृत अध्ययन/जांच करने तथा समिति के मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई की संवीक्षा करने और प्रक्रियागत तथा सामान्य विषयों पर विचार करने के लिए समिति के सदस्यों में से उप-समिति/अध्ययन समूहों का गठन कर सकती है। उप-समिति के अध्यक्ष/समन्वयक/वैकल्पिक समन्वयक की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष द्वारा उप-समिति/ अध्ययन समूह के सदस्यों में से की जाएगी।

तत्स्थानिक दौरे/अध्ययन दौरे

जांच के अधीन विषयों से संबंधित विभिन्न विषयों के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए समिति अथवा इसकी उप-समिति/अध्ययन समूह, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों का तत्स्थानिक दौरा कर सकती है।

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें, जो कि उनके प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट हैं, जिन्हें समिति द्वारा स्वीकार किये जाने तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के उपरांत सभापति और प्राधिकृत सदस्यों द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है/ राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदनों के साथ समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश को भी सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

समिति की सिफारिशें अनुसरणात्मक होती हैं और तथा उन्हें समिति द्वारा दिया गया सुविचारित परामर्श माना जाता है। समिति द्वारा प्रतिवेदित अनुदानों की मांगों तथा विधेयक पर सभा द्वारा समिति की

सिफारिशों के आलोक में विचार किया जाता है। अनुदानों की मांगों, राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घ-कालिक नीतिगत दस्तावेज तथा अन्य विषयों पर प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/ विभागों द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है तथा तीन माह के भीतर इस संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर उपलब्ध कराने होते हैं। समिति द्वारा मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-का□□□□□□ टिप्पण की जांच की जाती है और उन पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है/राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है।

समिति की कार्यवाहियां, मसौदा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश को संसद में प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय माना जाता है।

लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के अंतर्गत मंत्री द्वारा वक्तव्य

निदेश 73क के अंतर्गत, संबंधित मंत्री, अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा में छह माह में एक बार वक्तव्य देंगे। इसका उद्देश्य, स्थायी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सरकार के सर्वोच्च स्तर द्वारा ध्यान दिया जाना होता है।

समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

वित्त संबंधी समिति द्वारा अब तक संसद में **341** प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जिनका लोक सभावार ब्यौरा निम्नानुसार है:

लोकसभा	कार्यकाल	प्र□□□□□ किए गए प्रतिवेदन				
		अनुदानों की मांगें	विषय	विधेयक	एटीआर	कुल
दसवीं लोक सभा	1993-1996	7	3	8	5	**23**
□□□□रहवीं लोक सभा	1996-1998	4	--	--	1	**05**
बारहवीं लोक सभा	1998-1999	6	--	7	8	**21**
तेरहवीं लोक सभा	1999-2004	20	1	10	24	**55**
चौदहवीं लोक सभा	2004-2009	25	3	23	29	**80**
पंद्रहवीं लोक सभा	2009-2014	25	6	24	29	**84**
सोलहवीं लोक सभा	2014-2019	**25**	**10**	**4**	**34**	**73**

कुल	**112**	**23**	**76**	**130**	**341**

सोलहवीं लोक सभा के दौरान हुई समिति की बैठकें

सोलहवीं लोक सभा के दौरान वित्त संबंधी स्थायी समिति की 114 बैठकें आयोजित हुईं। समितिवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

समिति	**प्रथम बैठक की तिथि**	**अंतिम बैठक की तिथि**	**बैठकों की संख्या**	**समय घंटा मिनट**	**औसत उपस्थिति**
2014-2015	11.09.2014	27.08.2015	32	73 45	15
2015-2016	10.09.2015	30.08.2016	21	43 50	14
2016-2017	22.09.2016	29.08.2017	24	56 45	16
2017-2018	13.10.2017	27.08.2018	22	50 10	15
2018-2019	26.09.2018	07.03.2019	15	27 55	15

बैठकों की कुल संख्या : 114

बैठकों की अवधि : 258 घंटे और 55 मिनट

औसत उपस्थिति : प्रति बैठक 15 सदस्य

सोलहवीं लोकसभा के दौरान समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

सोलहवीं लोकसभा के दौरान वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 73 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। कार्यकाल वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समिति	निम्नलिखित के बारे में प्रतिवेदन					
	विषय	विषय पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन	अनुदानों की मांगें	अनुदानों की मांगों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन	विधेयक	कुल
2014-2015	--	4	10	4	--	18
2015-2016	3	1	5	7	2	18
2016-2017	1	3	5	4	--	13
2017-2018	2	--	5	10	1	18
2018-2019	4	1	--	--	1	06
कुल	**10**	**09**	**25**	**25**	**4**	**73**